

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी के माह 03.2012 से 01.2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.02.2019 से 12.02.2019 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

- 1). **परिचयात्मक:** कार्यालय को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है
- 2). (i). **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** इकाई के अधीन रोजगार परक व्यवसायो जैसे आशुलिपिक हिन्दी, विधुत्कार, कोपा आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे समस्त पाबौ, पौड़ी आता है।
- ii). (अ). **विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:**

(रु लाख में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2013-14	0.00	0.00	16.50	16.50	0.64	0.59	-	0.05
2	2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35	17.98	-	3.37
3	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08	10.07	-	1.01
4	2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	26.45	-	0.85
5	2017-18	0.00	0.00	4.99	0.00	22.07	21.94	-	5.12
6	2018-19	0.00	0.00	9.55	7.39	28.72	20.44	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

लागू नहीं

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2013-14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

- प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखंड, देहरादून
- निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी
- अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी
- उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी
- प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी

iv). **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 01.2019 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2016, 03/2015, 08/2018 एवं 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर :1- संस्थान मे कर्मचारियो एवं अनुदेशकों की कमी के कारण उद्देश्य प्रभावीत पाया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा वर्णित मुख्य विजन "To equip the youth with practical skills which enable them to seek employment or self-employment" उल्लेखित पाया गया।

उपरोक्त विजन के परिपेक्ष्य मे कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ की संचालन की अद्यतन स्थिति की जांच की गयी जिसमे कार्यालय की स्टाफ पोजिशन की संवीक्षा मे तथ्य प्रकाश मे आया कि संस्थान हेतु कुल स्वीकृत पद 20 के सापेक्ष मात्र एक कर्मचारी/अधिकारी संस्थान मे तैनात पाया गया एवं संस्थान मे रिक्त पदो की स्थिति का विवरण निम्नवत है:-

क्रं सं	पदनाम	स्वीकृत पद	नियुक्त पद	रिक्त पद
1	कार्यदेशक	01	01	00
2	मुख्य सहायक	01	00	01
3	प्रवर सहायक	01	00	01
4	कनिष्ठ सहायक	01	00	01
5	सहायक भण्डारी	01	00	01
6	कार्यशाला परिचर	03	00	03
7	अनुसेवक	02	00	02
8	सफाई नायक	01	00	01
9.	अनुदेशक	07	00	07
10.	चौकीदार	02	00	02
	कुल	20	01	19

लेखापरीक्षा मे तथ्य प्रकाश मे आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक संस्थान मे कोई भी नियमित कर्मचारी/अधिकारी की तैनाती नही होने के कारण उक्त वित्तीय वर्षो मे स्थापना व्यय शून्य पाया गया तथा संस्थान की स्थापना वर्ष 2010 से वर्तमान तक स्वीकृत 5 व्यवसायो के सापेक्ष मात्र एक व्यवसाय विद्ध्युतकार हेतु 46 दिनो (दिनांक 06.01.12 से 20.02.13 तक) के लिए एक अनुदेशक की तैनाती संस्थान मे की गयी। संस्थान मे वर्तमान मे कोई भी शैक्षणिक सत्र संचालित नही पाया गया तथा नियमित स्टाफ की कमी होने एवं संस्थान का स्वयं का भवन न होने के कारण संबद्धता (affiliation) प्राप्त होना लम्बित पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संस्थान मे नियमित स्टाफ की भारी कमी होने के कारण वैकल्पिक स्रोतो के माध्यम से संस्थान को संचालित किए जाने हेतु संविदा पर कार्मिको की तैनाती की गई है,

अतः इस सम्बंध मे उच्च अधिकारियों को संस्थान की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुये उचित कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि संस्थान स्थापना वर्ष से ही प्रश्नगत पदों के रिक्त रहने के कारण रोजगारोन्मुख व्यवसायो मे प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने एवं प्रयोजन की पूर्ति हेतु लाभार्थियों का कौशल विकास प्रदान करने मे पूर्णतः विफल रही तथा स्थानीय जनता को रोजगारोन्मुख अवसर मिलने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2:- धनराशि रु 2.96 लाख के वाउचरो पर त्रुटिपूर्ण 2% टीडीएस की कटौती किया जाना।

According to Circular No. 01/2014, dated 13.01.14 and revised/modified Circular No. 23/2017, dated 19.07.17 "TDS not to be deducted on Service Tax and GST Component"

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी के मद संख्या 16 "व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के अंतर्गत माह नवम्बर 2018 के देयकों की जांच में पाया गया, कि धनराशि रु 121033/- वाउचर संख्या बी22300002 एवं रु175958/- वाउचर संख्या बी22300003 द्वारा अर्थात् कुल रु 2.96/- लाख का व्यय किया गया। संबंधित वाउचरो/देयकों में उपरोक्त सर्कुलर के विपरीत देयकों का भुगतान करते समय 9% CGST एवं 9% SGST कर को शामिल करते हुये, देयकों पर दो प्रतिशत आयकर कटौती किया गया। नमूना जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि उपनल के संबंधित देयकों में 'TDS not to be deducted on GST' का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद जीएसटी पर दो प्रतिशत टीडीएस की कटौती किया गया तथा इकाई द्वारा संबंधित कटौती किए जाने पर समर्थित साक्ष्य एवं निर्देश/नियमावली लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराने में असमर्थ पायी गयी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि "जानकारी के अभाव संबंधित देयकों से जीएसटी पर टीडीएस की कटौती की गयी भविष्य में सुधार कर लिया जाएगा"।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, उपरोक्त सर्कुलर के तहत जीएसटी पर टीडीएस की कटौती अनुमन्य नहीं पायी गई तथा मद संख्या 16 के अंतर्गत भुगतानित जीएसटी आय का स्रोत नहीं है, साथ ही इकाई द्वारा उक्त देयकों से कटौती संबंधित कोई साक्ष्य/ निर्देश लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत पाये गए।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य

भाग-V**आभार**

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएं: शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री सी०एम० बहुगुणा	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी	03.2012 से 23.06.2013 तक & 24.10.2013 से 31.10.13 तक
श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी	24.06.2013 से 23.10.2013 तक & 01.11.2013 से 16.07.2017 तक
श्री जे० एम० नेगी	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी	17.07.2017 से 22.09.2017 तक
श्री डी० एस० नेगी	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी	22.09.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाबौ, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.